



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2001/अग्रहायण 21, 1923

No. 620]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2001/AGRAHAYANA 21, 1923

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2001

सा.का.नि. 897(अ).—केन्द्रीय सरकार रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 25 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रबड़ नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रबड़ (संशोधन) नियम, 2001 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- रबड़ नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), में,—
 - नियम 39 के उपनियम (1) में "प्रत्येक व्यक्ति, जो रबड़" शब्दों के पश्चात् "(जिसके अंतर्गत आयातित प्राकृतिक रबड़ भी है)" कोष्ठक और शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे;
 - नियम 39 क के उपनियम (1) में "प्रत्येक व्यक्ति, जो रबड़" शब्दों के पश्चात् "(जिसके अंतर्गत आयातित प्राकृतिक रबड़ भी है)" कोष्ठक और शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे;
 - नियम 40 में "कोई विनिर्माता जो रबड़" शब्दों के पश्चात् "(जिसके अंतर्गत आयातित प्राकृतिक रबड़ भी है)" कोष्ठक और शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे;
 - नियम 48 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
"48 रबड़ का श्रेणीकरण और विपणन—नियम 39क में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रसंस्करणकर्ता और प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मानकों के अनुरूप अपने उत्पादों का श्रेणीकरण और विपणन करेगा जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएंगे";
- उक्त नियमों की पहली अनुसूची में,—
 - प्ररूप ग के, आरंभिक भाग में "किसी अनुज्ञप्त ब्यौहारी से रबड़" शब्दों के पश्चात् "(जिसके अंतर्गत आयातित प्राकृतिक रबड़ भी है)" कोष्ठक और शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे;
 - प्ररूप ग1 के, आरंभिक भाग में "किसी अनुज्ञप्त ब्यौहारी से रबड़" शब्दों के पश्चात् "(जिसके अंतर्गत आयातित प्राकृतिक रबड़ भी है)" कोष्ठक और शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे;
 - प्ररूप ड के, आरंभिक भाग में "अनुज्ञप्त ब्यौहारियों से रबड़" शब्दों के पश्चात् "(जिसके अंतर्गत आयातित प्राकृतिक रबड़ भी है)" कोष्ठक और शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे;

[फा सं 2/2/2001-संयंत्र(ग)]

एल.वी. सप्तऋषि, अपर सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियम भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, दिनांक 1 अगस्त, 1955 को पृष्ठ 1613 पर प्रकाशित हुए थे और यथा समय निम्नलिखित से संशोधित हुए एवं प्रकाशित हुए :—

- (i) सा.का.नि. 1497 दिनांक 27 सितम्बर, 1976
- (ii) सा.का.नि. 553 दिनांक 18 अप्रैल, 1978
- (iii) सा.का.नि. 1033(अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 1987
- (iv) सा.का.नि. 716(अ) दिनांक 20 जून, 1988
- (v) सा.का.नि. 561(अ) दिनांक 5 जुलाई, 1994

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2001

G.S.R. 897(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 25 of the Rubber Act, 1947 (XXIV of 1947) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rubber Rules, 1955, namely :—

1. (1) These rules may be called the Rubber (Amendment) Rules, 2001.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Rubber Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules),--
 - (a) in rule 39, in sub-rule (1), after the words "otherwise deal in rubber", the brackets and words "(including imported natural rubber)" shall be inserted;
 - (b) in rule 39A, in sub-rule (1), after the words "to acquire rubber", the brackets and words "(including imported natural rubber)" shall be inserted;
 - (c) in rule 40, after the words "otherwise acquire rubber", the brackets and words "(including imported natural rubber)" shall be inserted;
 - (d) for rule 48, the following rule shall be substituted, namely :—
 "48. Grading and Marketing of rubber.—Every processor and every person referred to in rule 39A shall grade and market his products in conformity with such standards as are specified by the Bureau of Indian Standards from time to time";
3. In the First Schedule to the said rules,—
 - (a) in Form C, in the opening portion, after the words, "otherwise acquire rubber", the brackets and words "(including imported natural rubber)" shall be inserted;
 - (b) in Form C I, in the opening portion, after the words "otherwise acquire rubber", the brackets and words "(including imported natural rubber)", shall be inserted;
 - (c) in Form E, in the opening portion, after the words "quantities of rubber", the brackets and words "(including imported natural rubber)", shall be inserted.

[F.No. 2/2/2001-Plant(C)]

L.V. SAPTHARISHI, Addl. Secy.

Foot note :— The principal rules were published in the Gazette of India, (Extraordinary) Part II, Section 3; Page 1613, dated 1st August, 1955 and subsequently amended which has been published vide

- (i) G.S.R. 1497 dated 27th September, 1976.
- (ii) G.S.R. 553 dated 18th April, 1978.
- (iii) G.S.R. 1033(E) dated 31st December, 1987.
- (iv) G.S.R. 716(E) dated 20th June, 1988.
- (v) G.S.R. 561(E) dated 5th July, 1994.